

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971
1971 की संख्या 69 (23 दिसम्बर, 1971)

(राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित)

2005 की संख्या 51

(20 दिसम्बर, 2005)

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण के लिए एक अधिनियम

इसे संसद द्वारा भारतीय गणतंत्र के बाइसवें वर्ष में निम्न प्रकार से अधिनियमित किया जाए:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार

- (1) यह अधिनियम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 कहलाएगा।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा।

2. भारतीय राष्ट्रीय झंडे तथा भारतीय संविधान का अपमान

कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है या अन्यथा उसके प्रति अनादर प्रकट करता है या (मौखिक या लिखित शब्दों में, या कृत्यों द्वारा) अपमान करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1- भारत के संविधान में संशोधन करने या विधिसम्मत तरीके से भारतीय राष्ट्रीय झंडे में परिवर्तन करने की दृष्टि से सरकार के किसी उपाय की आलोचना या अस्वीकृति व्यक्त करते हुए की गई कोई टिप्पणी इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं बनती।

स्पष्टीकरण 2- 'भारतीय राष्ट्रीय झंडे' की अभिव्यक्ति में कोई भी तस्वीर, पेंटिंग, ड्राइंग या फोटोग्राफ या भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग या भागों का अन्य स्पष्ट चित्रण जो किसी पदार्थ से बना हो या पदार्थ पर दर्शाया गया हो, शामिल है।

स्पष्टीकरण 3- 'सार्वजनिक स्थान' की अभिव्यक्ति के अर्थ में ऐसा कोई स्थान जो जनता द्वारा उपयोग के लिए हो अथवा जहां जनता की पहुंच हो और इसमें कोई भी सार्वजनिक वाहन शामिल है।

*स्पष्टीकरण 4- भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अपमान का अर्थ निम्नलिखित होगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

- (क) भारतीय राष्ट्रीय झंडे का घोर अपमान या अनादर करना; या
- (ख) किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे को झुकाना; या
- (ग) सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार जिन अवसरों पर सरकारी भवनों पर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को आधा झुकाकर फहराया जाना हो, उन अवसरों के सिवाय झंडे को आधा झुकाकर फहराना; या
- (घ) राजकीय अंत्येष्टियों या सशस्त्र सैन्य बलों या अन्य अर्धसैनिक बलों की अंत्येष्टियों को छोड़कर झंडे का किसी अन्य रूप में लपेटने के लिए प्रयोग करना; या
- (ङ) #भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का,
 - (i) किसी भी प्रकार की ऐसी वेशभूषा, वर्दी या उपसाधन के, जो किसी व्यक्ति की कमर से नीचे पहना जाता है, किसी भाग के रूप में, या
 - (ii) कुशनों, रुमालों नैपकिनों, अधोवस्त्रों या किसी पोशाक सामग्री पर कशीदाकारी या छपाई करके, उपयोग करना; या
- (च) भारतीय राष्ट्रीय झंडे पर किसी प्रकार का उत्कीर्णन करना; या
- (छ) गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस सहित विशेष अवसरों पर समारोह के एक अंग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखे जाने के सिवाय भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने या ले जाने वाले पात्र के रूप में प्रयोग करना; या
- (ज) किसी प्रतिमा या स्मारक या वक्ता की मेज या वक्ता के मंच को ढकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग करना; या
- (झ) जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को जमीन या फर्श से छूने देना या पानी पर घसीटने देना; या
- (ञ) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी वाहन, रेलगाड़ी, नाव या किसी वायुयान या ऐसी किसी अन्य वस्तु के हुड, टाप और बगल या पिछले भाग पर लपेटना, या
- (ट) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए प्रयोग करना; या
- (ठ) जानबूझकर 'केसरी' पट्टी को नीचे रखकर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराना।

3. राष्ट्रीय गान के गायन को रोकना

जो कोई व्यक्ति जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय गान को गाए जाने से रोकता है या ऐसा गायन कर रही किसी सभा में व्यवधान पैदा करता है उसे तीन वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

* 3क दूसरी बार के या बाद के अपराध के लिए न्यूनतम दंड

जो कोई व्यक्ति, जिसे धारा 2 या धारा 3 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध ठहराया गया हो, ऐसे किसी अपराध के लिए फिर से दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो उसे दूसरी बार के या उसके बाद के हर बार के अपराध के लिए कम से कम एक वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकेगा।

नोट 1 : * राष्ट्रीय गौरव निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 31, दिनांक 8.5.2003) के तहत जोड़ा गया।

नोट 2 : #राष्ट्रीय गौरव निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 की संख्या 51, दिनांक 20.12.2005) के तहत जोड़ा गया।